

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक- 19.11.2021

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा आज दिनांक 18.11.2021 को जनपद के कुल 05 गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 01 करोड़ 86 लाख, 22 हजार रुपए की चल- अचल संपत्ति को ज़ब्त किया गया है। विवरण निम्न है –

गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में जब्तीकरण की कार्यवाही:

01. अभियुक्त संजय सिंह परिहार पुत्र राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी वार्ड नं0-17 घोरावल रोड बस स्टैण्ड के पास, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध मु0अ0सं0-814/2020 धारा 302, 34 भादवि से सम्बन्धित थाना राबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 155/2021 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 (1) में कार्रवाई करते हुए चल संपत्ति 65 लाख 34 हजार तथा अचल संपत्ति 50 लाख 50 हजार कुल 01 करोड़ 15 लाख 84 हजार रुपये की जब्तीकरण की गयी।
02. अभियुक्त धर्मराज मौर्या पुत्र भइया लाल निवासी अतरौली, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध मु0अ0सं0 68/2021 धारा 9, 44, 48(A), 49, 49(B)(1), 50, 51, 57 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से सम्बन्धित थाना करमा जनपद सोनभद्र पर मु0अ0सं0 116/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14(1) कार्रवाई करते हुए कुल चल संपत्ति 68 हजार रुपये की जब्तीकरण की गयी।
03. अभियुक्त रविन्द्र कुमार भारती उर्फ चिन्टू पुत्र स्व0 गोपाल प्रसाद भारती निवासी पूर्वी परासी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध मु0अ0सं0-70/2021 धारा 379, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से सम्बन्धित थाना अनपरा पर मु0अ0सं0 102/2021 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 (1) में कार्रवाई करते हुए कुल चल संपत्ति 24 लाख की जब्तीकरण की गयी।
04. अभियुक्त नागेन्द्र गुप्ता पुत्र सुदर्शन गुप्ता निवासी पश्चिम परासी, थाना अनपरा जनपद सोनभद्र के विरुद्ध मु0अ0सं0-70/2021 धारा 379, 411, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के से सम्बन्धित थाना अनपरा पर मु0अ0सं0 102/2021 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 (1) में कार्रवाई करते हुए कुल चल संपत्ति 70 हजार की जब्तीकरण की गयी।
05. अभियुक्त चॉद गोविन्द पुत्र दीनानाथ यादव निवाली चितकुरिया चकिया, पोस्ट बेलाघाट बलुआ, थाना आरा, जनपद भोजपुर, बिहार विरुद्ध मु0अ0सं0-71/2020 धारा- 420, 467, 468, 471 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित थाना विण्ढमगंज पर मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 (1) में कार्रवाई करते हुए कुल संपत्ति 45 लाख की जब्तीकरण की गयी।